

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

**Rule 120 : Details of goods sent on approval basis**

Every person having sent goods on approval under the existing law and to whom sub-section (12) of section 142 applies shall, within <sup>1</sup>[the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner], submit details of such goods sent on approval in **FORM GST TRAN-1**.

---

---

**1** Substituted for "ninety days of the appointed day" by Noti. No. 36/2017–Central Tax, dt. 29-09-2017.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

**नियम 120 : अनुमोदन के आधार पर भेजे माल के ब्यौरे**

प्रत्येक व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन अनुमोदन पर माल भेजना है और जिसको धारा 142 की उपधारा (12) लागू है <sup>1</sup>[नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए] के भीतर प्ररूप जीएसटी ट्रान-1 के अनुमोदन पर भेजे गए ऐसे माल के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

---

---

1 अधिसूचना क्रमांक 36/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.09.2017 द्वारा "नियत दिन के नब्बे दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित।